<u>न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या-02, भरतपुर (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः सीताराम मीना, RJS (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या :- 13/2025

सी.आई.एस. नंबर :- 07/2020

राजस्थान राज्य --अभियोगी

ब ना म

1. चंद्रहंस उर्फ हंसो पुत्र जंगीराम
2. किरनदेई पत्नी चंद्रहंस उर्फ हंसो
3. रवि उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र चंद्रहंस उर्फ हंसो

निवासीयान हथैनी थाना चिकसाना थाना, जिला भरतपुर

--अभियुक्तगण

<u>अपराध अंतर्गत धारा- 341, 336, 323 या 323/34 भारतीय दण्ड संहिता</u>

<u>प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 152/2019 थाना चिकसाना, भरतपुर</u>

उपस्थितः-

1- श्री ऋषिपाल तिवारी, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

2- श्री जमुना प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से

3- श्री धर्मगोपाल चतुर्वेदी, अधिवक्ता परिवादी की ओर से

<u>:- निर्णय :-</u>

<u>दिनांकः - 13.04.2026</u>

01- इस अभियोग पत्र की मुकामी पुलिस थाना चिकसाना, भरतपुर के द्वारा FIR संख्या 152/2019 में अनुसंधान करते हुए विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-04, भरतपुर के समक्ष दिनांक 03.06.2019 को अभियुक्तगण चन्द्रहंस उर्फ हंसो, किरन देवी, एवं रवि उर्फ पुष्पेन्द्र के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 336, 34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोपपत्र पेश किया। जिस पर दिनांक 03.06.2019 को अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 336, 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराधों में प्रसंज्ञान लिया गया। तत्पश्चात विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा मामले को सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय पाते हुए माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भरतपुर को कमिट किया गया। माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भरतपुर द्वारा प्रकरण को न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-04, भरतपुर में अंतरित किया । तत्पश्चात् श्रीमान्

जिला एवं सैशन न्यायालय भरतपुर द्वारा आदेश क्रमांक/स्था0/2025/2009 दिनांक 04.07.2025 द्वारा इस मामले को इस न्यायालय में अंतरित किया गया। जिस पर प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 08.07.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादिया देवरानी ने एक इस्तगासा प्रदर्श पी-2 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-04, भरतपुर में दिनांक 20.04.2019 को अभियुक्तगण के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि दिनांक 12.04.2019 को समय रात्रि करीब 9 बजे की बात है । उसका पति सत्यदेव शर्मा भांजों की शादी में सामई खेडा तहसील डीग, जिला भरतपुर में गये हुए थे । वह घर में उसकी बेटी के साथ अकेली थी, तभी गांव के दो लडके अंकित पुत्र बॉबी उम्र 12 वर्ष और कान्हा पुत्र जगवीर उम्र 9 वर्ष घर के सामने सडक के किनारे मोटर साइकिल तेजी से चलाते हुए आये और प्रार्थीया के पालतू कुत्ता(शैलू) जो सडक के किनारे कच्ची जगह पर बैठा था उसे कुचल दिया । जिससे कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई । दोनों बच्चे मोटरसाइकिल से फिसलने से गिर गये जिनके शरीर पर खरौचें आई। इसी बात से नाराज होकर चन्द्रहंस, रवि व धर्मेन्द्र निवासी-हथैनी गाली गलौच व मारने की धमकी देकर गये । दिनांक 15.04.2019 को सांय करीब 6 बजे उसका पति सत्यदेव खेत से जब वापिस आया तो चन्द्रहंस, रवि व धर्मेन्द्र, शैलेश व किरन, सचिन उसके घर में मारपीट करने व बेअदब करने के इरादे से घुस आये जिनके पास लाठी व सरिया थी और उसके पुत्र झम्मन के साथ मारपीट की । उसके पति ने चन्द्रहंस, शैलेश, रवि, किरन, सचिन, धर्मेन्द्र से हाथ जोडकर मारपीट करने से मना किया तो उक्त लोगों ने उसके पति को धरती पर पटककर मारपीट की, उनके शरीर में गम्भीर चोटें आई हैं । वह व उसका पुत्र झम्मन जान बचाने के लिए कमरे में घुस गये । उसके मुलजिमानों ने कपडे फाड दिये । उसे बेअदब कर दिया । उसके पति के साथ भी मारपीट की चन्द्रहंस ने एक लाठी की चोट उसके पति के हाथ में मारी, धर्मेन्द्र ने एक सरिया की चोट उसके पति के सिर में मारी । उसके पति व उसने 100 नम्बर पर फोन किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की । उसे व उसके पति को अस्पताल में भर्ती कराया।........आदि । उक्त इस्तगासा अन्तर्गत धारा 156(3) जा.फौज. थाना चिकसाना भिजवाया गया । जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 152/2019 अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 452, 354, 506, 456, 379 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

03. बाद अनुसंधान अभियुक्तगण चन्द्रहंस उर्फ हंसो, किरन देई एवं रवि उर्फ पुष्पेन्द्र के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 336, 34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोपपत्र, संबंधित न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.04 भरतपुर में प्रस्तुत किया गया।

04. बहस बाबत आरोप सुनी जाकर समस्त अभियुक्तगण को **दिनांक 07.01.2020** को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 या 323/34, 336 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए पृथक से आरोप विरचित कर सुनाये व समझाये गये, जिस पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा की मांग की।

05. अन्वीक्षा के दौरान अभियोजन की ओर से निम्न गवाहान को पेश कर परीक्षित कराया गया-

क्रम सं.	**गवाह संख्या**	**नाम गवाह**	**गवाह की प्रकृति**
1.	पी.डब्ल्यू.-1	सत्यदेव	चश्मदीद साक्षी
2.	पी.डब्ल्यू.-2	श्यामसिंह	चश्मदीद पक्षद्रोही साक्षी
3.	पी.डब्ल्यू.-3	देवरानी	परिवादिया/चश्मदीद साक्षी
4.	पी.डब्ल्यू.-4	विद्यादेव	चश्मदीद पक्षद्रोही गवाह
5.	पी.डब्ल्यू.-5	आशु उर्फ झम्मन	उपहत/चश्मदीद साक्षी
6.	पी.डब्ल्यू.-6	राहुल शर्मा	उपहत/चश्मदीद साक्षी
7	पी.डब्ल्यू.-7	सत्यदेव उर्फ सत्यवीर	उपहत/चश्मदीद साक्षी
8.	पी.डब्ल्यू.-8	वासदेव	चश्मदीद साक्षी
9.	पी.डब्ल्यू.-9	करतार सिंह पुत्र महावीर	चश्मदीद साक्षी
10.	पी.डब्ल्यू.-10	डॉ0 अरिजीत दत्ता	चिकित्सकीय साक्षी
11.	पी.डब्ल्यू.11	करतारसिंह पुत्र मानिकचंद	चश्मदीद पक्षद्रोही साक्षी
12.	पी.डब्ल्सू.12	राजेश खटाना	अनुसंधान अधिकारी

06. अन्वीक्षा के दौरान अभियोजन की ओर से पत्रावली में निम्न दस्तावेजात को प्रदर्शित कराया गया-

क्रम	गवाह संख्या	दस्तावेज नाम	साक्षी जिसके द्वारा साबित कराया गया है ।
1.	प्रदर्श पी- 1	पुलिस बयान श्याम सिंह	पी.ड.2 श्यामसिंह
2.	प्रदर्श पी-2	इस्तगासा	पी.ड.3 देवरानी

3.	प्रदर्श पी-3	नक्शा मौका घटनास्थल	पी.ड.-3 देवरानी, पी.ड.-6 राहुल, पी.ड.-7 सत्यदेव
4.	प्रदर्श पी-4	देवरानी की चोटों का मेडीकल मुआयना	पी.ड-3 देवरानी, पी.ड.10 डा. अरिजीत दत्ता
5.	प्रदर्श पी-4	पुलिस बयान विद्यादेव	पी.ड.-4 विद्यादेव
6.	प्रदर्श पी-5	आशु उर्फ झम्मन की चोटों का मेडीकल मुआयना	पी.ड.-5 आशु उर्फ झम्मन, पी.ड.10 डा अरिजीत दत्ता
7	प्रदर्श पी-6	राहुल शर्मा का पुलिस ने मेडीकल कराया	पी.ड.-6 राहुल, पी.ड.10 डा. अरिजीत दत्ता
8.	प्रदर्श पी-07	एमएलआर सत्यदेव	पी.ड.-7 सत्यदेव
9.	प्रदर्श पी-08	इलाज पर्चे सत्यदेव	पी.ड.10 डा. अरिजीत दत्ता
10.	प्रदर्श पी-9	एक्सरे रिपोर्ट देवरानी	पी.ड.10 डा. अरिजीत दत्ता
11.	प्रदर्श पी-10 से पी-13	एक्सरे प्लेट	पी.ड.10 डा. अरिजीत दत्ता
12.	प्रदर्श पी-14	राय एक्सरे आशु	पी.ड.10 डा. अरिजीत दत्ता
13.	प्रदर्श पी-15 से पी-18	एक्सरे प्लेट आशु	पी.ड.10 डा. अरिजीत दत्ता
14.	प्रदर्श पी-19	एक्सरे रिपोर्ट राहुल	पी.ड.10 डा. अरिजीत दत्ता
15.	प्रदर्श पी-20 से 23	एक्सरे प्लेट	पी.ड.10 डा. अरिजीत दत्ता
16.	प्रदर्श पी-24	एक्सरे रिपोर्ट सत्यदेव	पी.ड.10 डा. अरिजीत दत्ता
17.	प्रदर्श पी-25 से 31	एक्सरे प्लेट सत्यदेव	पी.ड.10 डा. अरिजीत दत्ता
18.	प्रदर्श पी-32	पुलिस बयान करतार सिंह	पी.ड..11 करतारसिंह
19.	प्रदर्श पी-33	चाक एफआईआर	पी.ड.12 राजेश खटाना
20.	प्रदर्श पी-34	तहरीरी रिपोर्ट	पी.ड.12 राजेश खटाना
21.	प्रदर्श पी-35	अंतिम रिपोर्ट	पी.ड.12 राजेश खटाना

07. अभियुक्तगण के धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षण किया गया तो उन्होंने अपने विरूद्ध प्रस्तुत साक्ष्य को गलत होना बताया तथा झूठा फंसाया जाना कहा। प्रतिरक्षा में साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार

किया । लेकिन क्रास केस से संबंधित निम्न दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया-

क्रम	गवाह संख्या	दस्तावेज नाम	साक्षी जिसके द्वारा साबित कराया गया है ।
1.	प्रदर्श डी- 1	बयान धारा 161 द.प्र. प्रिया	पी.ड.-1 प्रिया
2.	प्रदर्श डी-2	बयान 161 दप्रस गवाह आशुउर्फ झम्मन	पी.ड.-2 आशु उर्फ झम्मन
3.	प्रदर्श डी-1	FIR संख्या 121/2019 थाना चिकसाना से संबंधित तहरीरी रिपोर्ट	गवाह पी.ड.12 राजेश खटाना
4.	प्रदर्श डी-2	चॉक एफ आई आर	गवाह पी.ड.12 राजेश खटाना
5.	प्रदर्श डी-3	चोट प्रतिवेदन रवि,	गवाह पी.ड.12 राजेश खटाना
6.	प्रदर्श डी-4	चोट प्रतिवेदन किरनदेई,	गवाह पी.ड.12 राजेश खटाना
7	प्रदर्श डी-5	चोट प्रतिवेदन चन्द्रहंस	गवाह पी.ड.12 राजेश खटाना
8.	प्रदर्श डी-06	चोट प्रतिवेदन अंकित	गवाह पी.ड.12 राजेश खटाना
9.	प्रदर्श डी-07	एक्सरे रिपोर्ट	गवाह पी.ड.12 राजेश खटाना
10.	प्रदर्श डी-08	एफ एस एल रिपोर्ट	गवाह पी.ड.12 राजेश खटाना
11.	प्रदर्श डी-09	नक्शा मौका क्रास केस	गवाह पी.ड.12 राजेश खटाना

08. उभय पक्ष बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष अन्वीक्षाधीन प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय बिन्दु है किः-

क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 15.04.2019 को सांय करीब 6.00 बजे गांव हथैनी थाना चिकसाना में परिवादिया श्रीमती देवरानी व उसके परिवारीजन को उनकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उनका सदोष अवरोध कारित किया एवं अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादीया देवरानी, आशु, राहुल व सत्यदेव के साथ कुंद हथियार से स्वेच्छया मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की एवं उपेक्षापूर्व व उतावलेपन से ईंट पत्थर फेंककर उनका व्यैक्तिक क्षेम व मानवजीवन संकटापित किया ? यदि हां तो अभियुक्तगण को किस प्रकार के दण्ड से दंडित किया जाना चाहिए?

09. दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क रहा है कि अभियुक्तगण निर्दोष है व उन्हें झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष के साथ कोई मारपीट नहीं की गई थी, बल्कि अभियुक्तगण के साथ परिवादी पक्ष द्वारा रास्ते में रोककर मारपीट की गई जिस समय अभियुक्तगण परिवादी के घरों के आगे से रास्ते से जा रहे थे। जिसके संबंध में परिवादी पक्ष के विरूद्ध पृथक से प्रकरण दर्ज करवाया हुआ है । जिसकी कार्यवाही से बचने के लिए कुत्ते को मोटरसाइकिल से टक्कर मारने की मनगढन्त कहानी बना कर अभियुक्तगण के विरूद्ध यह मुकदमा दर्ज करवाया गया है । साथ ही उनका यह भी तर्क रहा है कि चिकित्सकीय साक्षी ने सभी मजरूबान के दर्द की शिकायत एवं खरोचनुमा चोट होना बताया है, जो गिरने पडने से आने की संभावना से भी इंकार नहीं किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित महत्वपूर्ण गवाहान ने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है, बल्कि अभियुक्तगण के साथ परिवादी पक्ष द्वारा मारपीट करने बाबत् कथन किये हैं । जबकि उनका यह भी तर्क रहा है कि अनुसंधान अधिकारी ने घटनास्थल पर कोई आलामात नहीं मिलने का कथन किया है । घटनास्थल पर कोई हथियार, पत्थर आदि जब्त नहीं किया गया है । अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अपराध साबित नहीं होता है । ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे ।

10. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता परिवादी एवं अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष के घर पर जाकर गंभीर मारपीट करने की घटना कारित की गई थी । जिसके बाबत् परिवादी द्वारा घटना दिनांक को ही संबंधित पुलिस थाने पर जाकर रिपोर्ट पेश की गई थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया । अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान द्वारा कहे गये कथनों से अभियुक्तगण द्वारा मजरूबान के साथ उनके घर पर जाकर सदोष अवरोधित कर पत्थर फेंकने तथा मारपीट की घटना कारित करना स्पष्टतः साबित होते हैं । जिसकी पुष्टि चिकित्सकीय साक्षी से भी होती है साथ ही उनका यह भी तर्क रहा है कि इस प्रकरण के अभियुक्तगण के साथ परिवादी पक्ष के द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई थी। अतः अभियुक्तगण को दोषी करार दिया जावे।

11. उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया । पत्रावली एवं संबंधित विधि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया।

12. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराधों के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहान को पेश कर परीक्षित कराया गया है । जिनमें से

गवाह पी.ड.-3 देवरानी प्रकरण की परिवादिया है । जिसके द्वारा घटना के संबंध में इस्तगासा प्रदर्श पी-2 न्यायालय के समक्ष पेश करने पर न्यायालय के आदेश से प्रकरण दर्ज किया गया है । घटना के संबंध में इस गवाह ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि दिनांक 15.04.2019 को शाम को 5-6 बजे के करीब जब उसका पति सत्यदेव खेत पर था तब चन्द्रहंस वहां आया और उससे गंदी गंदी गालियां दी । उसने मना किया तो उसने फोन करके किरनदेई, रवि व अन्य को बुला लिया । जिनके हाथों में लाठी व डंडे थे । ये लोग उसके घर पर आ गए । गवाह ने अपने घर के अंदर मुलजिमान द्वारा स्वयं के तथा अपनी बेटी प्रिया व बेटे झम्मन के साथ थाप थप्पडों से मारपीट करना कहा है । साथ ही झम्मन के सिर में धम्मो द्वारा सरिया मारना कहा है । आगे गवाह ने यह भी कहा है कि उसका बेटा बेहोश हो गया तभी गांव वालों ने हमें घर के अंदर कर दिया । इतने में उसका पति व छोटा लडका राहुल खेत पर से घर आ गया, तब उसने जंगले में से देखा तो उसके पति व छोटे बेटे राहुल के साथ मुलजिमान ने मारपीट शुरू कर दी थी । हंसो ने लाठी मारी, धम्मो ने उसके पति में 2-3 सरिया मारी थी । धम्मो ने चौथी लाठी मारी जो चन्द्रहंस के सिर पर लगी थी । गवाह ने घटना के संबंध में इस्तगासा प्रदर्श-2 स्वयं के द्वारा पेश करना, पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 एवं स्वयं की चोटों का मैडीकल मुआयना प्रदर्श पी-4 होना व स्वयं की चोटों का एक्सरे होना भी कहा है ।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के संबंध में चश्मदीद के तौर पर परीक्षित गवाह पी.ड.-1 प्रिया परिवादिया देवरानी की पुत्री है व गवाह पी.ड.-5 अंशु उर्फ झम्मन उसका पुत्र है । उक्त दोनों गवाहान ने भी घटना के संबंध में परिवादिया द्वारा कहे गये कथनों की तात्विक रूप से पुष्टि करते हुए यह कथन किया है दिनांक 15.04.2019 को शाम के 5 बजे जब वह अपने घर पर थे तब हंसो ट्रेक्टर लेकर आया और उनकी मां को गालीयां देने लगा । उनकी मां अर्थात परिवादिया देवरानी ने उससे यह कहा कि उसके पति अभी घर पर नहीं है, वह आवे तब उनसे बात कर लेना । साथ ही गवाह पी.ड.-1 प्रिया ने यह भी कथन किया है कि फिर गांव के लोगों ने उन्हें अन्दर जाने के लिए कहा फिर हंसो ने फोन करके अपने घरवालों रवि, किरनदेवी एवं अन्य को बुला लिया । फिर उसके पिता व भाई राहुल घर पर आ गये । उसके पिता ने हंसो से कहा कि आप फिर दुबारा घर पर लडने क्यों आ गये । इतने में हंसो ने उसके पिता को जमीन पर गिरा दिया व लात घूसों से मारपीट करने लगे । हंसो ने एक

सरिया उसके पिता के सिर में मारा । इतने में धर्मेन्द्र वहां आ गया, उसने भी लाठी मारी ।

14. गवाह पी.ड.-5 आशु उर्फ झम्मन ने भी मुलजिम चन्द्रहंस के द्वारा फोन करके अपने परिवारीजन को बुलाने, उनके हाथों में लाठी डंडा होने पर स्वयं का घर के अन्दर छुप जाना कहा है । आगे कहा है कि इतने में ही उसके पिता सत्यदेव व छोटा भाई राहुल खेत से आ गया तो मुलजिमान उनकी मारपीट करने लगे तो वह शोर सुनकर कमरे से बाहर आया । चन्द्रहंस, किरनदेई, रवि के द्वारा इस गवाह ने सत्यदेव, राहुल के साथ लाठी डंडो से मारपीट करने, उनके चोटें आने और स्वयं के भी चोटें आने और अपना चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-5 होना कहा है ।

15. प्रकरण में अन्य गवाह पी.ड.-6 राहुल शर्मा भी घटना का मजरूब एवं चश्मदीद साक्षी है । जिसने भी अपने पिता के साथ घर पर लौटने पर वहां बहुत भीड होने, मुलजिमान द्वारा उनके घर के अन्दर घुसकर तोडफोड करने और फिर उसके व उसके पिताजी के साथ मारपीट करने, मां देवरानी एवं भाई आशु के घर से बाहर आने पर उनके साथ मारपीट करने, स्वयं के तथा पिता के चोटें आने और अपना मैडीकल मुआयना प्रदर्श पी-6 होने, नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 पुलिस द्वारा बनाया जाना व उस पर अपने हस्ताक्षर होना कहा है ।

16. अन्य मजरूब व चश्मदीद गवाह पी.ड.-7 सत्यदेव उर्फ सत्यवीर ने भी दिनांक 12.04.2019 को अंकित व कान्हा का मोटरसाईकिल से कुत्ते से टकराकर गिर जाना, मोटरसाईकिल की टक्कर से कुत्ते का मर जाना, अंकित व कान्हा के चोटें आना व उनके परिवारीजन द्वारा अपनी पत्नी व लडकी को गंदी-गंदी गालियां देना, इस बात की रंजिश रखना एवं दिनांक 13.04.2019 को उसकी पत्नी द्वारा सारी बातें फोन पर बताया जाना, उसके बाद 15 तारीख को सुबह उसके साथ लात घूसों, डंडो से हमला करके मारपीट करना कहा है। इस पर उसके चोटें आई थी । उसके बाद उसने चन्द्रहंस के बडे भाई फूलसिंह को फोन किया तो उसने मैडीकल मुआयना व रिपोर्ट करवाने से मना किया था। वह पीपला दिखाने गया और लौटकर आया तब उसने देखा कि चन्द्रहंस, रवि, किरनदेई व अन्य सभी आये और उन्होंने देवरानी, प्रिया, झम्मन के साथ लात घूंसो से मारपीट की, जिससे उनके शरीर पर चोटें आई थी । इतने में वह घर पर आ गया । घर के सामने उसकी मोटरसाईकिल को इन लोगों ने गिरा दिया और उसके साथ लाठी, डंडो से मारपीट की । जिससे उसके चोटें आई थी । गवाह ने अपना

मैडीकल मुआयना प्रदर्श पी-7 होना, इलाज के पर्चे प्रदर्श पी-8 होना व नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 होकर उन पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है ।

17. प्रकरण में घटना के संबंध में चश्मदीद के तौर पर परीक्षित अन्य गवाह पी.ड.-2 श्यामसिंह अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है बल्कि यह गवाह मजरूबान चन्द्रहंस व उसकी पत्नी के साथ सत्यदेव व उसके लडके व पत्नी द्वारा मारपीट करना कहता है । इस गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अन्य गवाह पी.ड.-4 विद्यादेव को भी चश्मदीद के तौर पर परीक्षित करवाया गया है, लेकिन यह गवाह अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है । अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षण करने पर भी उक्त दोनों गवाहान ने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है ।

18. अन्य गवाह पी.ड.-8 वासुदेव ने भी अभियोजन कहानी के विपरीत सत्तो और सत्तो के घर वालों अर्थात परिवादिया/मजरूबान के द्वारा अभियुक्त चन्द्रहंस के साथ मारपीट करना कहा है। इसी प्रकार गवाह पी.ड.-9 करतारसिंह पुत्र महावीरसिंह ने भी यह कथन किया है कि दिनांक 15.04.2019 को चन्द्रहंस ट्रेक्टर लेकर जा रहा था तो सत्तो पंडित, देवा, आंसू और उसके लडके ने चन्द्रहंस व उसकी पत्नी को घेर लिया, उन्हें ट्रेक्टर से खींचकर घर ले गये और चन्द्रहंस व उसकी पत्नी किरनदेई के साथ लटठ व डंडो, सरियों से मारपीट की। अन्य गवाह पी.ड.11 करतारसिंह पुत्र मानिक चंद भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसके द्वारा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की गई है ।

19. प्रकरण में अन्य साक्षी गवाह पी.ड.10 डा. अरिजीत दत्ता चिकित्सक साक्षी है । जिसने दिनांक 16.05.2019 को मजरूबा देवरानी, आंशु, राहुल एवं सत्यदेव के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण करने, उनके चोट प्रतिवेदन क्रमशः प्रदर्श पी-4,5,6 तथा पी-7 मुर्तिब करना कहा है । साथ ही उक्त मजरूबान के शरीर पर आई चोटों के संबंध में एक्सरे की राय दिए जाने, मजरूबा देवरानी की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 एवं एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी-10 से 13 होना, मजरूब आंसू की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 एवं एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी-15 से 18 होना, मजरूब राहुल की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-19 एवं एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी-20 से 33 होना, मजरूब सत्यदेव की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-24 एवं एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी-25 से 31 होना, उक्त सभी के कुंद हथियार से कारित साधारण प्रकृति की चोटें पाया जाना कथित किया है। प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने यह स्पष्ट किया है कि सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी । प्रदर्श पी-7 की चोट संख्या-1 व 2 अर्थात

मजरूब सत्यदेव की चोट संख्या-1 व 2 दो हफ़्ते से ज्यादा पुरानी थी । साथ ही सत्यदेव की चोट संख्या-1 को छोडकर बाकी सभी चोटों को गिरने पडने से आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है । उक्त मजरूब की चोट संख्या-1 के बाबत स्पष्ट किया है कि कोई व्यक्ति सिर के बल गिर जाए तो उक्त चोट आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है । यह भी स्पष्ट किया है कि सभी एम एल आर में दर्द की शिकायत मजरूब के बताए अनुसार अंकित की थी ।

20. गवाह पी.ड.12 राजेश खटाना प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है । जिसने प्रकरण में परिवाद प्रदर्श पी-2 पर चॉक एफ आई आर प्रदर्श पी-33 दर्ज करने, साथ ही दौराने अनुसंधान नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 मुर्तिब करने, मजरूब के चोट प्रतिवेदन व एक्सरे शामिल पत्रावली करना तथा बाद अनुसंधान आरोपपत्र प्रदर्श पी-35 पेश करने की साक्ष्य दी है । प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने यह स्पष्ट किया है कि घर के अन्दर कोई झगडा नहीं हुआ था ।

21. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य को अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराधों के संबंध में देखा जाए तो स्वयं परिवादिया पी.ड.-3 देवरानी द्वारा घटना के संबंध में इस्तगासा प्रदर्श पी-2 स्वयं के द्वारा दर्ज करवाये जाने बाबत स्पष्टतः कथन करती है । जिसमें मुलजिमान द्वारा परिवादिया के घर पर आकर पहले उक्त परिवादिया देवरानी व घर पर उसके साथ पुत्र झम्मन व पुत्री प्रिया के साथ मारपीट करने तथा उसके पश्चात उसके पति सत्यदेव व छोटे पुत्र राहुल के घर पर आने पर उनके साथ भी मारपीट करने के कथन किये है । इस संबंध में अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से दिए गए तर्कों के परिपेक्ष्य में उक्त गवाहान के प्रतिपरीक्षण को देखा जाए तो गवाह पी.ड.-3 देवरानी ने प्रतिपरीक्षण में यह कहा है कि उसने इस्तगासा को पढकर देखा था और वहां जो घटना घटी थी, वही लिखी थी। गवाह ने इस सुझाव को नकार दिया है कि उसके पति के साथ चन्द्रहंस द्वारा रास्ते में पटककर मारपीट करने और गांव वालों द्वारा बचाने वली बात जब उसके पति ने घर पर आकर बताई तो उसे गुस्सा आया हो और फिर उसने शाम को चन्द्रहंस, किरनदेई को ट्रेक्टर रोककर उनके साथ मारपीट की हो । इस गवाह ने धम्मो द्वारा झम्मन के सिर पर तथा उसके पति के 2-3 सरिया मारने वाली बात इस्तगासा प्रदर्श पी-2 में नहीं लिखा होना स्वीकार किया है । साथ ही इसने अपने पति व पुत्र राहुल का खेत से आने और मुलजिमान द्वारा उनके साथ मारपीट करने व जंगले से घटना देखने वाली बात इस्तगासा

में अंकित नहीं होने का कारण पता नहीं होना बताया है । लेकिन गवाह द्वारा कहे गए उक्त कथनों के आधार पर उसके द्वारा पश्चातवर्ती क्रम में ऐसा कोई तात्विक प्रकृति का सुधार करते हुए कथन करना नहीं माना जा सकता है। जिसके कारण घटना बाबत उसके कहे गये सम्पूर्ण कथन विश्वासजन्य नहीं माने जा सकते है । साथ ही इस सुझाव को नकार दिया है कि मुलजिमान के साथ रास्ते में जाते वक्त हमला किया गया हो तथा चन्द्रहंस की हालत खराब होने पर उसने झूंठा मुकदमा करवाया हो । इस प्रकार इस गवाह के कथनों को देखा जाए तो इसने तात्विक रूप से मुलजिमान चन्द्रहंस, किरनदेई एवं रवि का उसके घर पर आकर पहले उसके तथा उसके पुत्र आशु उर्फ झम्मन एवं पुत्री प्रिया के साथ मारपीट करने एवं उसके पश्चात उसके पति सत्यदेव व पुत्र राहुल के आने पर उनके साथ भी मारपीट करने बाबत जो मुख्य परीक्षा में कथन किए है, उनसे कोई तात्विक रूप से विरोधाभासी कथन नहीं किए है ।

22. इसी प्रकार घटना के संबंध में अन्य चश्मदीद गवाह पी.ड.-1 प्रिया ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वयं के द्वारा मुख्य परीक्षा में कहे गये कथनों से कोई विपरीत एवं विरोधाभासी कथन नहीं किए है । इस गवाह ने उनके पुलिस बयान प्रदर्श डी-1 में उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष कहे गये जो कथन अंकित नहीं है, उनके बाबत यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त बातें उसके पुलिस बयान में क्यों अंकित नहीं है, उसे पता नहीं है । ऐसी स्थिति में इस गवाह के कथनों से यह नहीं माना जा सकता है कि उसके द्वारा बढा चढाकर व सुधार करके न्यायालय के समक्ष बयान किये गये है । साथ ही इस संबंध में यह भी महत्वपूर्ण है कि उक्त गवाह परिवादिया देवरानी की पुत्री है । ऐसी स्थिति में घटना के समय सांय 5-6 बजे उसका अपने घर पर होना भी स्वाभाविक है। इसी प्रकार गवाह पी.ड.-5 आशु उर्फ झम्मन जो प्रकरण का मजरूब है, के द्वारा भी घटना बाबत मुख्य परीक्षा में कहे गए कथनों की यह कहते हुए ताईद की गई है कि उनके घर के बीच में झगडा हुआ था। साथ ही घर के अन्दर झगडा होना कहा है। नीम के पेड के पास से मुलजिमान द्वारा पत्थर फेंकना बताया है। यह भी स्पष्ट किया है कि चन्द्रहंस जब ट्रोली लेकर जा रहा था तो वह स्वयं ही रूक गया था, उसे रोका नहीं गया था । इस प्रकार इस गवाह के द्वारा भी ऐसा कोई तात्विक विरोधाभासी कथन नहीं किए है जो मुख्य परीक्षा में कहे गये कथनों की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हो । इसी प्रकार गवाह पी.ड.-6 राहुल शर्मा तथा पी.ड.-7 सत्यदेव की साक्ष्य को देखा जाए तो स्पष्ट है कि उक्त दोनों गवाहान घटना के प्रांरभ के समय अपने घर पर नहीं थे ।

लेकिन जब वे अपने घर पर आए तो मुलजिमान ने उनके साथ भी मारपीट करना शुरू कर दिया था। गवाह पी.ड.-7 सत्यदेव का प्रतिपरीक्षण में यह भी कथन रहा है कि झगडा रास्ते में नहीं हुआ था, घर के अन्दर हुआ था । जहां झगडा हुआ वह खुली जगह है । ऐसी स्थिति में गवाह के कथनों से यह भी स्पष्ट है कि परिवाद पत्र प्रदर्श पी-2 में मुलजिमान द्वारा परिवादिया देवरानी व उसके पुत्र झम्मन उर्फ आशु के साथ मारपीट की जो घटना होना बताया है वह उक्त नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 में दर्शित एक्स-1 स्थान पर हुई थी। उक्त एक्स-1 स्थान खाली स्थान होना भी स्पष्टतः जाहिर आता है । इस गवाह के कथनानुसार यह स्पष्ट होता है कि मुलजिमान द्वारा परिवादिया देवरानी व अन्य मजरूबान आशु उर्फ झम्मन एवं प्रिया के साथ उक्त स्थान पर पहले मारपीट की घटना की जा चुकी थी । इस गवाह का यह भी कथन रहा है कि घर के सामने मुलजिमान ने उसकी मोटरसाईकिल को गिरा दिया था और उसके साथ भी लाठी डंडो से मारपीट की थी । इस गवाह के उक्त कथनों के संबंध में नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 को देखा जाए तो उसमें मार्क एफ से उक्त गवाह का मकान दर्शित है । जिसके सामने खुली जगह मार्क एक्स-1 पर घटना होना बताया है । अतः स्पष्ट है कि इस गवाह के घर पर आने पर उक्त खुली जगह पर ही उसके साथ तथा अन्य मजरूब राहुल के साथ भी मुलजिमान द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी । साथ ही जब उसकी मोटरसाईकिल गिराई गई है तो इससे यह भी स्पष्ट है कि उसे सदोष अवरोधित किया गया था । इसी प्रकार गवाह पी.ड.-6 राहुल द्वारा कहे गये कथनों को देखा जाए तो इस गवाह ने मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट किया है कि जब वह आए तब मुलजिमान उनके साथ मारपीट करने लगे तब उसकी मां देवरानी व भाई घर से बाहर आए थे । इस गवाह के कथनों से स्पष्ट होता है कि परिवादिया देवरानी व झम्मन, प्रिया के साथ मुलजिमान द्वारा नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 पर स्थित एक्स-1 स्थान जो कि उनके घर के परिसर में बीच में खुला स्थान दर्शित होता है, वहां मारपीट की घटना कारित की गई थी। इसके अतिरिक्त गवाह ने अपने चोट सीधे हाथ पर आना कहा है, जिसकी पुष्टि उसके चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-6 से भी होती है । जिसमें चोट संख्या-2 दाहिनी अग्रभुजा में बताई गई है। इस प्रकार इस गवाह ने भी परिवादिया देवरानी एवं मजरूबान आशु उर्फ झम्मन तथा प्रिया के साथ मुलजिमान द्वारा मारपीट करना तथा उसके व उसके पिताजी के घर पर आने पर उनके साथ भी मारपीट करने बाबत कोई विरोधाभासी कथन नहीं किए है ।

23. हालांकि प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड.-2 श्यामसिंह, पी.ड.-4 विद्यादेव, पी.ड.-8 वासुदेव, पी.ड.-9 करतारसिंह पुत्र महावीरसिंह एवं पी.ड.11 करतारसिंह पुत्र मानिकचंद ने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है अर्थात मुलजिमान द्वारा परिवादी पक्ष के साथ मारपीट की घटना की ताईद नहीं की है। लेकिन इस बाबत स्वयं परिवादिया पी.ड.-3 देवरानी व मजरूबान के तौर पर परीक्षित अन्य गवाह पी.ड.-5 आशु उर्फ झम्मन, पी.ड.-6 राहुल एवं पी.ड.-7 सत्यदेव तथा पी.ड.-1 प्रिया द्वारा कहे गये कथनों में कोई तात्विक रूप से विरोधाभास प्रकट नहीं होता है। अतः उनकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण चन्द्रहंस, किरनदेई एवं रवि के द्वारा परिवादिया देवरानी तथा मजरूबान राहुल, आशु उर्फ झम्मन एवं सत्यददेव के घर के सामने खुली जगह में उनको रोककर उनके साथ मारपीट करने के तथ्य स्पष्टतः साबित होते है ।

24. इसके अतिरिक्त प्रकरण में प्रस्तुत चिकित्सकीय साक्षी पी.ड.10 डा. अरिजीत दत्ता ने भी उक्त मजरूबा देवरानी, आशु उर्फ झम्मन, राहुल एवं सत्यदेव के चोट प्रतिवेदन क्रमशः प्रदर्श पी-4,5,6 व 7 में उक्त मजरूबान के कुंद हथियार से कारित साधारण प्रकृति की चोटों की पुष्टि की है।

25. परिवादिया गवाह पी.ड.-3 देवरानी पी.ड.-1 प्रिया एवं पी.ड.-5 आशु उर्फ झम्मन द्वारा कहे गये कथनों से स्पष्ट है कि पहले मुलजिम चन्द्रहंस उनके घर पर आया था और उसके पश्चात उसने अन्य मुलजिम रवि व किरनदेई को बुलाया था । अतः स्पष्ट है कि सभी मुलजिमान का आशय उक्त मजरूबान के साथ मारपीट करने का था । अतः सभी मुलजिमान द्वारा एकराय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में घटना कारित करना स्पष्टतः प्रकट होता है ।

26. अतः अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अभियुक्तगण चन्द्रहंस, किरनदेई एवं रवि के द्वारा परिवादिया देवरानी एवं अन्य मजरूब आशु उर्फ झम्मन, राहुल, सत्यदेव को रोककर सदोष अवरोधित कर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में उनके साथ कुंद हथियार से मारपीट कर साधारण प्रकृति की चोटें कारित करना साबित होता है। अतः उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित पाया जाता है ।

27. जहां तक धारा 336 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का प्रश्न है तो जब अभियुक्तगण के विरूद्ध साशयपूर्वक मजरूबान के साथ मारपीट करने का

तथ्य साबित होता है तो उक्त मारपीट के घटनाक्रम में पत्थर फेंकने का कृत्य उपेक्षापूर्वक किया जाना साबित नहीं माना जा सकता है । बल्कि उक्त कृत्य भी मारपीट कर चोटें पहुंचाने के आशय से करना स्पष्ट होता है। इसके अतिरिक्त स्वयं परिवादिया पी.ड.-3 देवरानी ने अभियुक्तगण द्वारा कोई उपेक्षापूर्ण तरीके से किए गए कृत्य करने का भी कथन नहीं किया है। गवाह पी.ड.-1 प्रिया ने भी ऐसे कोई कथन नहीं किए है। हालांकि पी.ड.-5 आशु उर्फ झम्मन ने प्रतिपरीक्षण में यह अवश्य कहा है कि मुलजिमान ने नीम के पेड के पास से पत्थर फेंके थे। लेकिन जब अभियुक्तगण परिवादिया के घर पर मारपीट करने हेतु एकराय होकर आये थे तो उनके द्वारा पत्थर फेंकने का कृत्य उपेक्षापूर्वक किया जाना नहीं माना जा सकता है। बल्कि साशयपूर्वक मारपीट करने के आशय से ही उक्त कृत्य किया जाना साबित होता है । अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 336 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध समस्त संदेह से परे साबित नहीं पाया जाता है ।

28. जहां तक अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क रहा है कि इस घटना से संबंधित रिपोर्ट मनगढंत रूप से देरी से दर्ज करवाई गई है, क्योंकि परिवादी पक्ष के विरूद्ध धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के बाबत मुकदमा दर्ज किया गया था, उससे बचने के लिए उक्त मुकदमा दर्ज करवाया गया है । इस संबंध में देखा जाए तो अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड.12 राजेश खटाना ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि इसी प्रकरण से जुडा एक प्रकरण एफ आई आर संख्या 121/2019 थाना चिकसाना में दर्ज कराया गया है। जिसकी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श डी-1, चॉक एफ आई आर प्रदर्श डी-2 व नक्शा मौका प्रदर्श डी-9 है। उक्त रिपोर्ट प्रदर्श डी-1 तथा डी-2 को देखा जाए तो उसमें घटना का समय दिनांक 15.04.2019 को करीब सांय 5.30 बजे होना बताया है। जबकि इस प्रकरण के इस्तगासा प्रदर्श पी-2 में सांय करीब 6 बजे का बताया गया है। साथ ही उक्त प्रकरण के नक्शा मौका प्रदर्श डी-9 का अवलोकन करें तो उसमें घटनास्थल इस प्रकरण के परिवादिया/मजरूब के घर के बाहर आम रास्ते पर होना बताया गया है। जबकि हस्तगत प्रकरण का घटनास्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 में परिवादिया के मकान के सामने खुली जगह पर दर्शित किया गया है । जिसकी पुष्टि स्वयं परिवादिया पी.ड.-3 देवरानी तथा अन्य गवाह पी.ड.-7 सत्यदेव के कथनों से भी होती है। अतः स्पष्ट है कि उक्त दोनों प्रकरणों का घटनास्थल एवं घटना का समय भिन्न-भिन्न

है। अतः उक्त दोनों प्रकरण एक दूसरे के क्रास केस होना नहीं माने जा सकते है ।

29. इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण के मजरूबान रवि, किरनदेई, चन्द्रहंस, अंकित की चोटो की एम एल सी प्रदर्श डी-3 से डी-6, चन्द्रहंस की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श डी-7, चोटो बाबत राय प्रदर्श डी-8 भी इस गवाह के कथनों के दौरान पेश किए गए है। लेकिन जब दोनों प्रकरणों के घटनास्थल भिन्न है और क्रोस केस होना प्रकट नहीं होता है तो मुलजिमान के कारित चोटों का स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं है ।

30. अतः ऐसी स्थिति में जब दोनों प्रकरणों के घटनास्थल अलग अलग है अर्थात उक्त प्रकरण जो कि एफ आई आर संख्या 121/2019 थाना चिकसाना पर दर्ज हुई है, इस प्रकरण का क्रास केस होना प्रकट नहीं होता है तो उक्त प्रकरण की कार्यवाही से बचने के लिए परिवादी पक्ष द्वारा झूंठा प्रकरण दर्ज करवाये जाने का तथ्य भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त जहां तक परिवादिया का देरी से रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने का प्रश्न है तो इस बाबत गवाह पी.ड.-3 देवरानी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट किया है कि उसने घटना दिनांक 15.04.2019 को ही पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने का प्रयास किया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। इसी प्रकार के तथ्य परिवाद प्रदर्श पी-2 में भी अंकित किए गए है। जिससे भी रिपोर्ट देरी से दर्ज होने के स्पष्ट कारण दर्शित होते है। अतः उक्त तथ्यों को देखते हुए इस्तगासा के जरिए परिवादिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाने के आधार पर ही अभियोजन कहानी को संदेहास्प्रद नहीं माना जा सकता है । अतः इस बाबत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से दिए गए तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ।

31. उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 336 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप समस्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। किन्तु अभियुक्तगण द्वारा मजरूबान का सदोष अवरोध कर सामान्य आशय के अग्रसरण में उपहतगण के साथ मारपीट कर कुंद हथियार से कारित साधारण प्रकृति की चोटें कारित होना प्रत्येक युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है। अतः अभियुक्तगण को धारा 341 , 323/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दोषसिद्ध घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

:- आदेश -

32. परिणामतः अभियुक्तगण चंद्रहंस उर्फ हंसो पुत्र जंगीराम, किरनदेई पत्नी चंद्रहंस उर्फ हंसो एवं रवि उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र चंद्रहंस उर्फ हंसो निवासीयान हथैनी थाना चिकसाना थाना, जिला भरतपुर को निम्न आदेशानुसार आरोपित अपराध से **दोषमुक्त/दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है-

1- अभियुक्तगण चंद्रहंस उर्फ हंसो पुत्र जंगीराम, किरनदेई पत्नी चंद्रहंस उर्फ हंसो एवं रवि उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र चंद्रहंस उर्फ हंसो निवासीयान हथैनी थाना चिकसाना थाना, जिला भरतपुर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 336 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त** किया जाता है ।

2- अभियुक्तगण चंद्रहंस उर्फ हंसो पुत्र जंगीराम, किरनदेई पत्नी चंद्रहंस उर्फ हंसो एवं रवि उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र चंद्रहंस उर्फ हंसो निवासीयान हथैनी थाना चिकसाना थाना, जिला भरतपुर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है । सजा के प्रश्न पर उभय पक्षों को सुना जाकर दण्डादेश पारित किया जाएगा।

(सीताराम मीना)
अपर सैशन न्यायाधीश सं॰2,
भरतपुर (राज॰)

:- दण्डादेश :-

33- सजा के बिन्दु पर सुना गया। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क है कि अभियुक्तगण ने लम्बे समय से प्रकरण की अंवीक्षा भुगती है। इस दौराने आर्थिक, शारीरिक कठिनाईयों का सामना करना पडा है। अभियुक्तगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। अतः मुलजिमान के प्रति सजा में नरमी का रूख अपनाते हुए परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया ।

34. दूसरी तरफ विद्वान् अपर लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता परिवादी ने घोर विरोध किया और यह तर्क दिया कि दण्ड के बिन्दु पर कोई भी रियायत प्रदान नहीं की जा सकती है। इसलिये अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जावे।

35. मैंने उभय-पक्षों के तर्को के प्रकाश में पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया, जिससे यह प्रकट होता है कि अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत

धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषी पाया गया है। उनके विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं होने बाबत शपथपत्र पेश किया गया है। अभियुक्तगण पर दोषसिद्ध आरोप की प्रकृति, उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति, उनके ग्रामीण परिवेश तथा उनके द्वारा भुगती गई अंवीक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए मेरे विनम्र मत में उन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है ।

:- दण्डादेश -:

36. अतः अभियुक्तगण चंद्रहंस उर्फ हंसो पुत्र जंगीराम, किरनदेई पत्नी चंद्रहंस उर्फ हंसो एवं रवि उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र चंद्रहंस उर्फ हंसो निवासीयान हथैनी थाना चिकसाना थाना, जिला भरतपुर को धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप की दोषसिद्धि में तत्काल दण्ड से दण्डित न करते हुए परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्तगण 02 वर्ष की अवधि के लिए 20,000/- 20,000/-रुपये का स्वयं का बंध-पत्र व इसी राशि की एक-एक मौतविर जमानत इस आशय की प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवें कि उक्त अवधि में शांति एवं सदाचरण बनाये रखेंगे, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और न्यायालय द्वारा सजा के लिए बुलाये जाने पर उपस्थित आवेंगे और अभियुक्तगण धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के तहत 3,000/- 3,000/- रुपये पृथक-पृथक कुल अभियोजन व्यय 9,000/- रूपये भी जमा करायें, तो उन्हें सदाचरण की परिवीक्षा पर छोडा जाता है ।

37. जहां तक प्रतिकर पीडित स्कीम के तहत प्रकरण को संदर्भित करने का प्रश्न है तो इस प्रकरण के मजरूबान के द्वारा भी अभियुक्तगण के चोटें कारित किया जाना साबित पाया गया है। जिसके संबंध में आज ही प्रकरण संख्या 32/2023 सरकार बनाम सत्यदेव उर्फ सतवीर में निर्णय दिया गया है । प्रकरण में उपहतगण के साधारण प्रकृति की चोटें पाया जाना साबित पाया गया है। ऐसी स्थिति में मजरूबान को प्रतिकर दिलाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

38. अभियुक्तगण के नियमित हाजिरी बाबत पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(सीताराम मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या-02, भरतपुर

39- निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सीताराम मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या-02, भरतपुर